उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-15/47/98-का-4-2006
लखनऊ:: दिनांक:: 03 जनवरी, 2006

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद-318 के खण्ड(ख) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और द युनाइटेड प्रोविन्सेज पब्लिक सर्विस कमीशन स्टाफ (कन्डीशन आफ सर्विसेज) रेगुलेशन, 1942 और इस निमित्त जारी किये गये किसी अन्य विनियम या आदेश का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा विनियमावली, 2006

भाग-एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा-विनियमावली, 2006 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह-"ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं 3 जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियमावली में :

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के (भाग दो) के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ग) " आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ड.) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(छ) " सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस

विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त इन विनियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) "सेवा का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा से है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इन विनियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई विनियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट-क में दी गयी है।

परन्तु :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन- भर्ती

भर्ती के स्रोत

5 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी :-

(1) <u>समीक्षा अधिकारी:-</u>

1-पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

2-पचास प्रतिशत लोक सेवा आयोग के मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों, उर्दू अनुवादकों, भण्डारियों, प्रबन्धकों,

स्वागती और केयरटेकरों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी विशेष परिस्थतियों में और राज्यपाल की सहमति से भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति कोटा उस वर्ष में भरे जाने के लिए आशयित रिक्तियों की कुल संख्या के साठ प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।

परन्तु यह और कि इस विनियमावली के पूर्व निर्देश लिपिक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति इस प्रकार प्रारम्भ होने पर समीक्षा अधिकारी के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये समझे जायेंगे और समीक्षा अधिकारी संवर्ग में उनकी ज्येष्ठता निर्देश लिपिक के पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति की दिनांक के आधार पर अवधारित की जायेगी, उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता जैसा कि निर्देश लिपिक के संवर्ग में है किसी भी दशा में प्रभावित नहीं होगी।

(2) <u>वैयक्तिक सहायक :-</u>

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(3) <u>लेखाकार और कोषाध्यक्ष :-</u>

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) <u>प्रबन्धक :-</u>

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(5) <u>स्वागती :-</u>

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(6) <u>भण्डारी :-</u>

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(7) <u>केयरटेकर :-</u>

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(8) <u>उर्दू अनुवादक :-</u>

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(9) <u>सहायक समीक्षा अधिकारी :-</u>

(1) आयोग के माध्यम से नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(2) दस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त टंककों और लेखन सामग्री लिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से

पदोन्नति द्वारा।

(10) <u>सहायक लेखाकार :-</u>

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(11) <u>पुस्तकालयाध्यक्ष :-</u>

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(12) <u>टंकक और लेखन सामग्री लिपिक</u> :-

(1) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(2) लोक सेवा आयोग के पन्द्रह प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण समूह -"घ" के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो हिन्दी टंकण में प्रति मिनट न्यूनतम 25 शब्द की गति रखते हों, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) लोक सेवा आयोग के पांच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त इण्टर मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण समूह -"घ" के कर्मचारियें में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो हिन्दी टंकण में प्रति मिनट न्यूनतम् पच्चीस शब्द की गति रखते हों, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण 6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेश के अनुसार किया जायेगा।

<u>भाग चार-अर्हतायें</u>

राष्ट्रीयता 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति

होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें 8 सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक हैं:-

पद	अर्हतायें
(1) समीक्षा अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता।
(2) वैयक्तिक सहायक	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा । (ख) हिन्दी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति । अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा। (ग) कम्प्यूटर चलाने का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है और एम.एस.आफिस का प्रयोग करते हुए, विण्डो-98 एनवायरनमेंट तथा टंकण करने में हिन्दी फान्ट और मुद्रित सामग्री निकालने में कार्य करने योग्य होना आवश्यक है।

(3) व्यवस्थापक	अनिवार्य अर्हता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। अधिमानी अर्हता:- (क) होटल प्रबन्धन और खानपान सेवा में 03 वर्ष का डिप्लोमा, (ख) बागवानी का ज्ञान, (ग) लेखा नियमों का ज्ञान और (घ) प्रशासनिक अनुभव यथा फर्राश, माली, चौकीदार, अनुसेवकों, परिचरों, सफाई वालों और चालकों का पर्यवेक्षण।
(4) स्वागती	(क) डिग्री स्तर पर किसी एक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, मनोविज्ञान और स्थापत्य कला में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। (ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
(5) भण्डारी	अनिवार्य अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। अधिमानी अर्हतायें: भण्डारों के अनुरक्षण का अनुभव, वाणिज्य स्नातक को अधिमान दिया जायेगा।
(6) केयर टेकर	अनिवार्य अर्हता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। अधिमानी अर्हतायें: (क) पाक कला, बेकरी, टेबललेइंग, पुष्पसज्जा में एक वर्ष का पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष पाठ्यक्रम। (ख) बागवानी का ज्ञान । (ग) लेखा नियमों का ज्ञान और (घ) प्रशासनिक अनुभव यथा फर्राश, माली, चौकीदार, अनुचर और सफाई वालों का पर्यवेक्षण।
(7) उर्दू अनुवादक	किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उर्दू या फारसी या अरबी साहित्य में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। परन्तु उर्दू, फारसी या अरबी लिये होने की वांक्षनीयता ऐसे किसी अभ्यर्थी के मामले में आवश्यक नहीं होगी जिसने स्नातक उपाधि पूरा करने के पश्चात् जामिया उर्दू, अलीगढ़ की अदीब-ए-कामिल परीक्षा उत्तीर्ण कर

	लिया हो।
(8) सहायक समीक्षा अधिकारी	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।
टिप्पणी:-	अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
(9) पुस्तकालयाध्यक्ष	आवश्यक : (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान। अधिमानी : किसी अच्छे पुस्तकालय में कार्य का व्यवहारिक अनुभव।
(10) सहायक लेखाकार	सेवा में सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है।
(11) टंकक	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा। (ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति, अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
(12) लेखन सामग्री लिपिक	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा। (ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रतिमिनट की गति। अंग्रेजी टंकण का ज्ञान भी रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
अधिमानी अर्हता 9	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :- (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस विनियमावली के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता — 13

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो,जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग-3 के अध्याय-3 में दिये गये फण्डामेंटल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग पांच- भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण — 14

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दी जायेगी । टंकक और लेखन सामग्री लिपिक की रिक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित की जायेगी।

टंकक और लेखन सामग्री लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया — 15 (1)

भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(2) सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो अधिकारी, जो आयोग के उप सचिव श्रेणी से नीचे का न हो। — सदस्य

परन्तु यदि चयन समिति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसी जातियों / जनजातियों और वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व चयन समिति में न हो, से संबंधित किसी राजपत्रित अधिकारी को चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम

आयु 10 सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने नीचे दी गयी सारिणी में पद के समक्ष उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जांय पहली जुलाई को विनिर्दिष्ट न्यूनतम् आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम् आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो;

क्र.सं.	पद का नाम	न्यूनतम आयु (वर्ष)	अधिकतम आयु (वर्ष)
1	समीक्षा अधिकारी	21	35
2	वैयक्तिक सहायक	21	35
3	व्यवस्थापक	21	35
4	स्वागती	21	35
5	भण्डारी	21	35
6	केयर टेकर	21	35
7	उर्दू अनुवादक	21	35
8	सहायक समीक्षा अधिकारी	21	35
9	सहायक लेखाकार	21	35
10	पुस्तकालयाध्यक्ष	21	35
11	टंकक	18	35
12	लेखन सामग्री लिपिक	18	35

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयुसीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस विन्दु पर अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12 सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया

निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) चयन समिति, आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा तथा टंकण परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(4) अभ्यर्थियों द्वारा टंकण परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारिणीबद्व कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति विनियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगी, जितनी संख्या में लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में समिति द्वारा नियत मानक तक आये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्रदान किये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

समीक्षा अधिकारी, उर्दू अनुवादक, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक लेखाकार पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया।

16 (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश का प्रमाण पत्र न हो।

(3) वैयक्तिक सहायक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के मामले में लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारिणीबद्व कर लिये जाने के पश्चात् आयोग विनियम -6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों, जो इस संबंध में आयोग द्वारा नियत मानक तक आते हों, की एक सूची तैयार करेगा।

(4) आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी के मामले में अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीर्णताक्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और टंकण लेखन सामग्री में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वे नियुक्ति के लिए उचित समझे,संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो ऐसे अभ्यर्थियों, जो आयु में ज्येष्ठ हो, को सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची

नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:- प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और उसकी नियमावली वही होगी जैसाकि आयोग द्वारा, सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर विहित की जाय।

व्यवस्थापक, स्वागती, भण्डारी, केयरटेकर और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए आयोग के माध्यम से साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया।

17 (1) जहां सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो वहां चयन के लिए विचार किये जाने हेतु आयोग द्वारा आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जायेगा।

(2) आयोग विनियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों , जो अपेक्षित अर्हता पूरी करते हों, को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जितनी संख्या में वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराकर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनकी सेवा में सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया।

18 समीक्षा अधिकारी , लेखाकार, कोषाध्यक्ष और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए आयोग के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

एक सम्मिलित पात्रता सूची तैयार की जायेगी, जिसमें नाम निम्नलिखित क्रम में रखे जायेंगे।

(क) व्यवस्थापक /स्वागती/उर्दू अनुवादक/भण्डारी/सहायक समीक्षा अधिकारी/केयरटेकर और सहायक लेखाकार, यदि दो या उससे अधिक व्यक्तियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक वही हो तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति को ऊपर रखा जायेगा।

(ख) सहायक समीक्षा अधिकारी इस रूप में अपनी पारस्परिक ज्येष्ठताक्रम में

परन्तु जहां दो या उससे अधिक पोषक संवर्ग हों;

(क) अलग-अलग वेतनमान वाले हों, वहां उच्चतर वेतनमान वाले

संवर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों को पात्रतासूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ख) एक ही वेतनमान वाले हों, वहां अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रतासूची में रखे जायेंगे। किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही हो तो ऐसी स्थिति में उस अभ्यर्थी, जो आयु में अधिक हो, को पात्रतासूची में ऊपर रखा जायेगा। किन्तु यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही हो तो ऐसी स्थिति में, अभ्यर्थी, जो आयु में अधिक हो, को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

टंकक और लेखन सामग्री लिपिक के पद के लिए विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया।

19 (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

परन्तु यदि चयन समिति में, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसी जातियों / जनजातियों और वर्गो, जिनका प्रतिनिधित्व चयन समिति में न हो, से संबंधित किसी राजपत्रित अधिकारी को चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: अन्य पिछड़े वर्गो का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से हैं।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी लोक सेवा आयोग के ऐसे पात्र और मौलिक रूप से नियुक्त समूह "घ" के कर्मचारियों, जो इस रूप में भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, से हिन्दी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा।

(3) टंकण परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारिणीबद्व कर लिये जाने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में

रखते हुए, ऐसे अभ्यर्थियों, जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पात्रतासूची नियमावली ,1986 के अनुसार हिन्दी टंकण लेखन में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों तथा उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों, जिन्हें उपयुक्त समझा जाय, सहित चयन समिति के समक्ष रखेगा।

परन्तु जहां दो या उससे अधिक पोषक संवर्ग हों :

(क) जिनके वेतनमान अलग-अलग हों वहां उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को पात्रतासूची में ऊपर रखा जायेगा :

(ख) जिनके वेतनमान एक ही हों वहां अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्गो में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रतासूची में रखे जायेंगे।

(4) चयन समिति, उक्त नियम(3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है।

(5) चयन समिति ज्येष्ठता क्रम में रखे गये चयनित अभ्यर्थियों की एक ऐसी सूची तैयार करेगी, जो उस संवर्ग में थी, जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नति किया जाना है और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची — 20 — यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयनसूची तैयार की जायेगी, जिसमें सुसंगत सूचियों में से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। उक्त सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग-6:- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति — 21 (1) — उप विनियम (2) के उपबंधों के अधीन रखते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी , अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर , जिसमें से यथास्थिति, विनियम-15,16, 17, 18 और 19 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां किसी एक भर्ती वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती एवं

पदोन्नति दोनों द्वारा की जांय वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न किया जाय और संयुक्त सूची विनियम-24 के अनुसार तैयार न की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जांय वहां एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जांय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो नाम विनियम-24 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

परिवीक्षा

22 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकतीं हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप विनियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जांय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 23 (1) उप विनियम(2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि -

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबंधों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस विनियमावली के विनियम-5 के उप नियम(3) के अधीन घोषणा करते हुए, ऐसा आदेश, कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 24 किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान 25 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नलिखित रूप में दिये गये हैं:-

	पद का नाम	वेतनमान
1	समीक्षा अधिकारी	5500-175-9000
2	वैयक्तिक सहायक	5500-175-9000
3	संदर्भ लिपिक	5500-175-9000
4	कोषाध्यक्ष	5000-150-8000
5	लेखाकार	5000-150-8000
6	व्यवस्थापक	5000-150-8000
7	स्वागती	5000-150-8000
8	उर्दू अनुवादक	5000-150-8000
9	भण्डारी	5000-150-8000
10	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500-125-7000
11	सहायक समीक्षा अधिकारी	4500-125-7000

12	केयर टेकर	4500-125-7000
13	सहायक लेखाकार	4500-125-7000
14	लेखन सामग्री लिपिक	3050-75-3950-80-4590
15	टंकक	3050-75-3950-80-4590

परिवीक्षा अवधि में वेतन

26 (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो और जहां विहित हो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो तथा उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को प्रथम वेतनवृद्धि की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसके पास हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति न हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

27 किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ-प्रकीर्ण उपबन्ध

पक्ष समर्थन

28 सेवा के पद पर लागू विनियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता

के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

29 ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

30 जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ;

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

31 इस विनियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(दीपक त्रिवेदी)
सचिव।

APPENDIX-A
See Rule-4(2)

S. No.	Name of the Post	Number of Post		Total	Remarks
		Permanent	Temporary		
1.	Samiksha Adhikari	100	12	112	
2.	Personal Assistant	11	03	14	
3.	Reference Clerk	04	-	04	
4.	Treasurer	01	-	01	
5.	Accountant	04	-	04	
6.	Manager	01	-	01	
7.	Receptionist	01	-	01	
8.	Store-Keeper	01	-	01	
9.	Urdu Translator	01	-	01	
10.	Librarian-	01	-	01	
11.	Sahayak Samiksha Adhikari	99	10	109	
12.	Assistant Accountant	-	-	-	
13.	Care-taker	02	-	02	
14.	Stationery Clerk	01	-	01	
15.	Typist	-	14	14	